न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 29/2016

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
1. ताराराम पुत्र पन्नाराम 2. चिमाराम पुत्र मूलाराम 3. नाथाराम पुत्र मूलाराम जाति सुथार निवासी मते का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत बूठ राठौड़ान नवसृजित ग्राम पंचायत मते का तला पंचायत समिति चौहटन जिला बाड़मेर 2. भीखाराम पुत्र पुरखाराम जाति सुथार निवासी मते का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 58 दिनांक 06.12.1998 जो ग्राम पंचायत बूठ राठौड़ान द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पदमसिंह पड़िहार, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री डूंगरसिंह महेचा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 30/2016

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
1. नाथाराम पुत्र मूलाराम 2. चिमाराम पुत्र मूलाराम 3. ताराराम पुत्र पन्नाराम जाति सुथार निवासी मते का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत बूठ राठौड़ान नवसृजित ग्राम पंचायत मते का तला पंचायत समिति चौहटन जिला बाड़मेर 2. जोगाराम पुत्र पुरखाराम जाति सुथार निवासी मते का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 55 दिनांक 06.12.1998 जो ग्राम पंचायत बूठ राठौड़ान द्वारा जारी किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति :–
1. श्री पदमसिंह पड़िहार, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री डूंगरसिंह महेचा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 06 / 06 / 2022

1. प्रार्थीगण की ओर से यह दोनो निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बूठ राठौड़ान की ओर से अप्रार्थीी भीमाराम व जोगाराम के पक्ष में जारी पट्टा सं. क्रमशः 58 व 55 दिनांक 06.12.1998 के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने पर समान पक्षकार एवं एक ही विषयवस्तु होने से उक्त दोनो निगरानी प्रार्थना पत्रों को एक संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णीत किया जा रहा हैं तथा निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत बूठ राठौड़ान द्वारा अप्रार्थी भीमाराम व जोगाराम के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1953 के अधीन ग्राम मते का तला मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 58 व 55 दिनांक 06. 12.1998 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 3600–3600 वर्गफीट दर्शाया गया है। उक्त पट्टे ग्राम पंचायत बूठ राठौड़ान द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थीगण ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत मते का तला का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया गया जो उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया गया।

4. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बूठ राठौड़ान द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियमों के विरूद्ध एवं कानून की घोर अवहेलना करते हुए अप्रार्थी सं. 2 को ग्राम मते का तला की आबादी भूमि में आलौच्य पट्टा सं. 58 व 55 जारी किये गये हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी करने के समय वह नाबालिग थे और अपने पिता पुरखाराम के साथ ही रहते थे। अप्रार्थीगण सं. 2 ने अपने दीवानी मूल वाद सं. 08/2015 भीमाराम बनाम प्रतापाराम व अन्य में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चौहटन में सशपथ अपने बयान में स्वीकार किया हैं कि पट्टा सं. 58 व 55 मेरे पिताजी ने बनाये थे उस समय उनकी उम्र नाबालिग थी। ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा नाबालिग के पक्ष में जारी किये गये पट्टा विलेख निरस्त योग्य हैं। आलौच्य पट्टा विलेखों पर अप्रार्थीगण सं. 2 के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं तथा किसी साक्षी के भी हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। राजस्थान पंचायतीराज नियम 145 से 148 तक का पालन नही किया हैं जिसमें पट्टा जारी करने का आवेदन, भूमि का नक्शा, स्थल निरीक्षण और आपत्तियों का नोटिस आदि का हवाला होना आवश्यक हैं। परन्तु अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टों के सन्दर्भ में उक्त पंचायतीराज नियमों की कोई पालना नहीं की गई हैं। यहां तक की उक्त पट्टे जारी करने की कोई नियमानुसार पत्रावली भी कायम नहीं की गई हैं, ऐसे में जो पट्टे जारी किये गये हैं वह नियम एवं विधि विरूद्ध हो[illegible] पंचायत की ओर से अप्रार्थीगण के पक्ष में नियम [illegible] जारी होना अंकित किया हैं जबकि नियम 15[illegible] हैं कि 50 वर्ष से अधिक समय का निर्मित कब्जा होना आवश्यक हैं। ग्राम पंचायत बूठ राठौड़ान से आलौच्य पट्टों से सम्बन्धित अभिलेख पत्रावली की प्रतिलिपि चाहे जाने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

ग्राम सेवक द्वारा स्पष्ट रूप से लिखित में जवाब दिया गया हैं कि उक्त पट्टों से सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में कोई अभिलेख पत्रावली उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार बिना किसी पंचायत की कार्यवाही के फर्जी तौर पर एवं मनगढ़त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 58 व 55 को निरस्त फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया हैं कि ग्राम पंचायत बूठ राठौड़ान द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख राजस्थान पंचायतीराज नियम में यथा विहित सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुए जारी किये गये हैं जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई हैं। प्रार्थीगण की ओर से इस न्यायालय में प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना–पत्रों में तलब की गई मौका रिपोर्ट में अप्रार्थीगण का कब्जा मौके पर होना अभिलिखित किया गया हैं। उक्त पट्टा विलेखों में विवादित भूमि अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के पैतृक कब्जा व स्वामित्व की आई हुई हैं जिसके फलस्वरूप पुराने कब्जे के विनियमितीकरण के तहत आलौच्य पट्टा विलेख जारी किये गये हैं। प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत निगरानी प्रार्थना–पत्र बेबुनियाद व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं जो खारिज योग्य होने से खारिज फरमाये जावें।

6. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा हस्तगत निगरानी प्रार्थना–पत्रों पर उपलब्ध रेकर्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता हैं कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा विलेखों के जारी करने में जो पत्रावलियां कायम की गई हैं वह वर्तमान में पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं ऐसे में उक्त प[illegible]के बिना आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने के [illegible]ता के पहलु पर जांच एवं निष्कर्ष दिया [illegible] इसके अतिरिक्त जहां तक आलौच्य पट्टा जारी करने में अवैधता का प्रश्न हैं तो सिविल न्यायालय कनिष्ठ खण्ड चौहटन के समक्ष स्वंय अप्रार्थीगण भीमाराम व अन्य ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lon
जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थित होकर साक्ष्य बयानों में स्वीकार किया हैं कि वे आलौच्य पट्टा जारी करने के समय नाबालिग थें इसके साथ ही सिविल न्यायालय में उक्त वाद के निर्णय दिनांक 08.04.2022 में भी अप्रार्थीगण का आलौच्य पट्टा विलेखों में अंकित भूमि पर उनके स्वत्व को स्वीकार नहीं किया गया हैं। इसी वाद में अप्रार्थी भीमाराम की ओर से जिरह में किये गये साक्ष्य बयानों में स्वीकार किया गया हैं कि ग्राम पंचायत के समक्ष उनकी ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा आलौच्य पट्टा विलेख उनके पिता द्वारा जारी करवाये गये हैं। इसके अलावा स्वंय तत्कालीन सरपंच द्वारा भी उक्त पट्टा विलेख जारी करने से इंकार किया गया हैं, ऐसे में जब ग्राम पंचायत के समक्ष किसी प्रकार का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा बिना आवेदन–पत्र एवं प्रक्रिया अपनाये हुए जो आलौच्य पट्टा विलेख जारी किये गये हैं वह अवैध हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत बूठ राठौड़ान द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष में जारी किये गये पट्टा विलेख अवैध एवं नियम विरूद्ध होने से बहाल रखे जाने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दोनो निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत बूठ राठौड़ान द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 58 एवं 55 दिनांक 06.12.1998 अपास्त किये जाते हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Lok

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested